# भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ
(भारतीय सहकारी आंदोलन की शीर्षस्थ संस्था)

# NATIONAL COOPERATIVE UNION OF INDIA
(APEX ORGANISATION OF THE INDIAN COOPERATIVE MOVEMENT)


सं.सं.: भारासंसं/सीडीएन/11(एजीएम)/2026-2027 दिनांक : 02.11.2026

**प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी**
**भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की**
**सभी सदस्य संस्था**

**विषय : वर्ष 2025-2026 के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक की सूचना।**

प्रिय महोदय/महोदया,

भा.रा.स.संघ की सभी सदस्य समितियों को सूचित किया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की वर्ष 2025-2026 के लिए सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक बुधवार, दिनांक 18 नवंबर, 2026 को दोपहर 12.00 बजे भा.रा.स.सं. सभागार, 3, सीरी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 में आयोजित की जाएगी। बैठक की कार्यसूची निम्नानुसार होगी:

1. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की दिनांक 20.09.2025 को हुई सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि।
2. दिनांक 20.09.2025 को हुई संघ की सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही संबंधी टिप्पणी ।
3. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के वर्ष 2025-2026 के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार एवं अनुमोदन हेतु।
4. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के वर्ष 2025-2026 के अंकेक्षित लेखों, अंकेक्षण एवं अनुपालन रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन हेतु ।
5. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के वर्ष 2027-2028 के वार्षिक कार्यक्रम पर विचार एवं अनुमोदन हेतु ।
6. भा.रा.सह. संघ के वर्ष 2026-2027 के संशोधित अनुमानों तथा वर्ष 2027-2028 के लिए बजट अनुमानों पर विचार एवं अनुमोदन हेतु ।
7. वर्ष 2026-2027 के लिए संघ के अंकेक्षकों की नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन हेतु ।
8. उन कर्मचारियों की सूची का अवलोकन जो संघ की शासी परिषद् अथवा मुख्य कार्यकारी के संबंधी हैं ।
9. भा.रा.स.सं. की शासी परिषद के सदस्यों का चुनाव।
10. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई मद।

लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे 2025-2026 बैठक सूचना के साथ संलग्न है। वर्ष 2025-2026 के लिए भा.रा.स.सं. की वार्षिक रिपोर्ट के साथ अन्य मदों पर एजेंडा नोट्स शीघ्र ही प्रेषित किए जाएंगे।

भा.रा.स.सं. के उप-नियम संख्या 11 (ए) के अनुसार, प्रत्येक सदस्य समिति संघ के सामान्य निकाय में एक प्रतिनिधि भेजेगी और बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम (संशोधित) 2023 की धारा 38 (3) के अनुसार, सदस्य सहकारी समितियां केवल अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी या ऐसी सहकारी समिति या अन्य बहु-राज्य सहकारी समिति के बोर्ड के सदस्य के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, जैसा भी मामला हो, यदि ऐसा सदस्य बोर्ड द्वारा अधिकृत है और जहां ऐसी सहकारी समिति या अन्य बहु-राज्य सहकारी समिति का कोई बोर्ड नहीं है, किसी भी कारण से, प्रशासक के माध्यम से, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, ऐसी सहकारी समिति या अन्य बहु-राज्य सहकारी समिति।

बशर्ते जहां किसी बहु-राज्य सहकारी समिति के उपनियमों में सामान्य निकाय की किसी बैठक में या ऐसी बहु-राज्य सहकारी समिति के बोर्ड में अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है, वहां ऐसी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व उसके नामित व्यक्ति के माध्यम से किया जाएगा।

(.....2)


3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 / 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110 016
दूरभाष / Phones : 011-40793299, 41811154, 46062727 / ई-मेल/E-mail : mailncui@india.coop, Website : www.ncui.coop
info@ncui.coop

इसके अलावा, यह सदस्य समितियों की जानकारी के लिए है कि बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (यथा संशोधित) की धारा 29 के प्रावधान के अनुसार:

**बहु-राज्य सहकारी समिति के सदस्य के लिए अयोग्यता-**

कोई भी व्यक्ति बहु-राज्य सहकारी समिति का सदस्य होने के लिए पात्र नहीं होगा यदि-

(*क*) उसका व्यवसाय ऐसी बहु-राज्य सहकारी समिति के व्यवसाय के साथ संघर्ष या प्रतिस्पर्धी है; या

[1][(*ख*) वह लगातार दो वर्षों तक उप-नियमों में निर्दिष्ट उत्पादों या सेवाओं के न्यूनतम स्तर का उपयोग करने में विफल रहता है; या]

(*ग*) उसने बहु-राज्य सहकारी समिति की लगातार तीन आम बैठकों में भाग नहीं लिया है और इस तरह की अनुपस्थिति को आम बैठक में सदस्यों द्वारा माफ नहीं किया गया है; या

(*घ*) उसने ऐसी सोसायटी के उपनियमों के तहत बहु-राज्य सहकारी समिति को भुगतान की जाने वाली किसी भी राशि के भुगतान में कोई चूक की है।

यह भी सूचित किया जाता है कि श्री मुकेश कुमार, निदेशक (नीति), सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा भा.रा.स.संघ की वर्ष 2025-2026 के लिए सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक बुलाने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसे भा.रा.स.संघ की अधिसूचना संख्या एनसीयूआई/सीडीएन/ 11(एजीएम)/2026-2027 दिनांक 26.10.2026 के माध्यम से सभी सदस्य समितियों को पहले ही सूचित किया जा चुका है।

तदनुसार, सदस्य समितियों से अनुरोध है कि वे अपने नामित/प्रतिनिधि को सदस्य समिति के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के साथ भेजें, जिसमें अध्यक्ष / सचिव / मुख्य कार्यकारी या किसी भी अधिकृत अधिकारी द्वारा सोसायटी की मुहर के तहत विधिवत रूप से सत्यापित प्रतिनिधि को निर्धारित संलग्न प्रोफार्मा में यथाशीघ्र डाक के माध्यम और ई-मेल : boardncui@gmail.com पर भेजा जाए । यह भी अनुरोध है कि वे सत्यापन के लिए सोसायटी द्वारा जारी वैध फोटो आईडी कार्ड या किसी अन्य सरकारी आईडी अर्थात आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड लाएं। वार्षिक सभा के लिए प्रतिनिधियों का पंजीकरण दिनांक 18.11.2026 को प्रातः 09.30 बजे भा.रा.स.सं. सभागार, नई दिल्ली-110016 में आरंभ होगा। प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे कृपया ठहरने और भोजन की व्यवस्था स्वयं करें।

धन्यवाद,

भवदीय,

(पंकज श्रीवास्तव, आईआरएस)
मुख्य कार्यकारी

संलग्न : यथोपरि

प्रतिलिपिः

1. सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, 9वीं मंजिल, टॉवर ई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली- 110029
2. श्री मुकेश कुमार, निदेशक (नीति), सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, अटल, अक्षय ऊर्जा भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

# भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

**भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की दिनांक 18.11.2026 को आयोजित सामान्य निकाय की वार्षिक सभा - 2025-2026 में प्रतिनिधि के नामांकन हेतु प्रपत्र**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सदस्य संस्था का नाम | |
| 2. | सदस्य संस्था का पता | |
| 3. | प्रतिनिधि का विवरण<br><br>i) नाम और पदनाम (अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ प्रशासक) | |
| | ii) पत्राचार के लिए प्रतिनिधि का पता मोबाईल तथा ई-मेल के साथ | |
| | iii) प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का नमूना विधिवत रूप से सत्यापित किया गया | सत्यापित हस्ताक्षर<br><br>(सत्यापित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम) |
| 4. | नामित करने वाले प्रस्ताव संख्या एव दिनाक | *संकल्प संख्या :<br><br>तारीख : |

(अध्यक्ष/सचिव/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
प्रशासक के हस्ताक्षर)

संस्था की मुहर

तारीख:

(* कृपया प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न करें)

# भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ
(भारतीय सहकारी आंदोलन की शीर्षस्थ संस्था)

# NATIONAL COOPERATIVE UNION OF INDIA
(APEX ORGANISATION OF THE INDIAN COOPERATIVE MOVEMENT)


Ref.No.: NCUI/CDN/11(AGM)/2026-2027

Dated: 02.11.2026

**The Managing Director/Chief Executive**
**All Member Institutions of**
**National Cooperative Union of India**

**Subject : Notice of the Annual General Body Meeting of NCUI for the year 2025-2026.**

Dear Sir/Madam,

It is brought to the notice of all member societies of NCUI that the Annual General Body Meeting for the year 2025-2026 of National Cooperative Union of India is scheduled to be held on Wednesday, 18th November, 2026 at 12.00 Noon in the NCUI Auditorium, 3, Siri, Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016. The agenda of the meeting will be as under:

1. Confirmation of the Minutes of the last Annual General Body Meeting of NCUI held on 20.09.2025.
2. To take note of the action taken report on the decisions of the last Annual General Body Meeting of NCUI held on 20.09.2025.
3. To consider and approve the Annual Report of NCUI for the year 2025-2026.
4. To consider and approve the NCUI's Audited Accounts, Auditor's Report for the year 2025-2026 and its compliance.
5. Consideration of the Work-Programme of NCUI for the year 2027-2028.
6. To consider and approve the NCUI's Revised Budget for the year 2026-2027 and Budget Estimates for the year 2027-2028.
7. To consider the appointment of Auditors of NCUI for the 2026-2027 and remuneration thereof.
8. Perusal of list of employees who are relatives of members of the Governing Council or of the Chief Executive.
9. Election of members of the Governing Council of NCUI.
10. Any other item with permission of Chair.

The Audited Annual Accounts 2025-2026 is attached with Meeting Notice. Agenda notes on other items along with Annual Report of NCUI for the year 2025-2026 will follow soon.

In accordance with the bye-law No. 11(a) of NCUI, each member society shall send one delegate to the General Body of the Union and with Section 38(3) of the Multi State Cooperative Societies Act (Amended) 2023, the member cooperative societies can represent only through the Chairperson or the President or the Chief Executive or a member of the Board of such Cooperative Society or other multi-state cooperative society, as the case may be, if such member is so authorized by the board and where there is no board of such co-operative society or other multi-state co-operative society, for whatever reasons, through the administrator, by whatever name called, of such co-operative society or other multi-state co-operative society.

PROVIDED that where the bye-laws of a multi-state cooperative society provide for representation of other institutions in any meeting of general body or the board of such multi-state co-operative society, such institutions shall be represented through its nominee.

(.....2)


3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 / 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110 016
दूरभाष / Phones : 011-40793299, 41811154, 46062727 / ई-मेल/E-mail : ~~mailncui@india.coop~~ info@ncui.coop, Website : www.ncui.coop

Further, it is for the information of the Member Societies that as per provision of Section 29 of MSCS Act, 2002 (as amended) :

**Disqualification for member of a multi-State co-operative society.—**

No person shall be eligible for being a member of a multi-State co-operative society if—

(*a*) his business is in conflict or competitive with the business of such multi-State co-operative society; or

[1][(*b*) he fails to use the minimum level of the products or services as specified in the bye-laws for two consecutive years; or]

(*c*) he has not attended three consecutive general meetings of the multi-State co-operative society and such absence has not been condoned by the members in the general meeting; or

(*d*) he has made any default in payment of any amount to be paid to the multi-State co-operative society under the bye-laws of such society.

It is also informed that Shri Mukesh Kumar, Director (Policy), Ministry of Cooperation, Government of India has been authorized to convene Annual General Meeting for the year 2025-2026 of NCUI by Central Registrar which has already been communicated to all member societies vide NCUI's Notification No. NCUI/CDN/11(AGM)/2026-2027 dated 26.10.2026.

Accordingly, the member societies are requested to send their nominee/representative with resolution adopted by the competent authority of member society nominating the delegate duly attested by the Chairman/Secretary/Chief Executive or any authorized officer under the seal of the society in the prescribed attached proforma at the earliest positively through post and E-mail at : **boardncui@gmail.com** It is also requested to bring valid photo ID Card issued by the society or any other Govt. IDs, i.e. Aadhar Card, Voter I Card for verification. Registration of delegates for AGM will start at 09.30 a.m. on 18.11.2026 in the NCUI Auditorium, New Delhi-110016. Delegates are requested to kindly make their own arrangements of lodging & boarding.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Pankaj Srivastava, IRS)
Chief Executive

Encl: As above.

Copy to :

1. The Central Registrar of Cooperative Societies, Ministry of Cooperation, Government of India, 9th Floor, Tower E, World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi- 110029.
2. Shri Mukesh Kumar, Director (Policy), Ministry of Cooperation, Government of India, Atal, Akshay Urja Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-110003.

# NATIONAL COOPERATIVE UNION OF INDIA

**Proforma for Nomination of Delegate to the Annual General Body – 2025-2026 of NCUI scheduled to be held on 18.11.2026**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Name of the Member Society | |
| 2. | Address of the Member Society | |
| 3. | Details of the delegate<br><br>i) Name and position (Chairman/ Chief Executive/ Director/ Administrator) held by the delegate. | |
| | ii) Address of the delegate for Correspondence along with Mobile and Email | |
| | iii) Specimen Signature of the delegate duly attested | Signatures attested<br><br>(Name & designation of the person attesting the signatures) |
| 4. | Nominated Vide *Resolution No. and date of the Board. | *Resolution No.:<br><br>Date : |

(Signature of Chairman/Secretary/Managing Director/
Chief Executive Officer/Administrator)

Seal of the Society
Date:
(*Please enclose a certified copy of the fresh resolution)